प्रेस नोट संख्या- 40
दिनांक 21.04.2025
सराहनीय कार्य थाना गौरीगंज पुलिस
12 घण्टे के अन्दर हत्या का खुलासा, हत्या के अभियोग में प्रकाश में आया अभियुक्त मृतक के 01 अदद मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 20.04.2025 को थाना गौरीगंज जनपद अमेठी अन्तर्गत कस्बा गौरीगंज में धुलाई सेन्टर के पास एक व्यक्ति का शव मिला था, जिनकी पहचान चन्द्रकुमार उर्फ बब्बन पुत्र रामलखन निवासी ग्राम दूंदीपुर कस्बा व थाना गौरीगंज जनपद अमेठी के रूप में उनके परिजनों द्वारा की गई थी। चन्द्र कुमार उर्फ बब्बन उपरोक्त की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या करने के संबंध में दिनांक 20.04.2025 को मृतक के भाई द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना गौरीगंज पर मु0अ0सं0 133/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। **पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक द्वारा उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश/निर्देश दिये गये थे।**

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अखिलेश वर्मा के कुशल नेतृत्व में उक्त घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 21.04.2025 को निरीक्षक जिलेदार यादव थाना गौरीगंज मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 133/25 धारा 103(1) बीएनएस थाना गौरीगंज जनपद अमेठी में प्रकाश में आया अभियुक्त विशाल कनौजिया उर्फ छोटे पुत्र रामसुख निवासी ग्राम अमिया थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष को मनीपुर तिराहे के पास से समय करीब 04.45 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 19.04.2025 को **मैं और चन्द्रकुमार उर्फ बब्बन (मृतक) ने वाशिंग सेन्टर के पास देशी शराब की दुकान से शराब खरीदकर पिये थे। मैने चन्द्र कुमार उर्फ बब्बन को पूर्व में उधार दिये गये 1000/- रुपयों को वापस मांगा तो चन्द्रकुमार उपरोक्त ने कहा कि कार वाशिंग सेन्टर के पास चलो वहीं पैसों की बात करते हैं। जब हम लोग वहां गये तो चन्द्रकुमार उपरोक्त ने मेरे साथ गाली-गलौज व मारपीट करना शुरू कर दिया तो मैंने भी चन्द्रकुमार उर्फ बब्बन को थप्पड़ मारा व वाशिंग सेन्टर के पास में पड़े नुकीले ईंट से जान से मारने की नियत से उसके गले पर वार कर गंभीर चोट पहुंचाया, जिससे वह घायल होकर गिर गया। मैं थोड़ी देर वहीं रूका रहा जब उसकी मृत्यु हो गयी तो मैं वहां से भाग गया था।** शराब पीने से पहले मैंने चन्द्र कुमार उर्फ बब्बन का मोबाइल फोन ले लिया था व सिम कार्ड निकाल कर दे दिया था। मोबाइल फोन को एक पालीथीन में रखकर अरगवां गांव के पास स्थित तालाब के पास फेंक दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन अरगवां गांव के पास स्थित तालाब के पास से बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- विशाल कनौजिया उर्फ छोटे पुत्र रामसुख निवासी ग्राम अमिया थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी-

- मृतक का 01 अदद की पैड मोबाइल।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 133/25 धारा 103(1) बीएनएस थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

पुलिस टीम-

1. निरीक्षक जिलेदार यादव थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
2. का0 ओमजी त्रिपाठी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
3. का0 नन्दलाल थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
4. का0 देवेन्द्र दूबे थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
5. का0 प्रशान्त अग्निहोत्री थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
6. का0 अरूण यादव थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।